

# कार्यालय परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश, हुरावली हिल, ग्वालियर

फोन नं. 0751-2971001

विशेष अभियान के तहत दिव्यांगजन सहायक वर्ग-3 की भर्ती हेतु

## पुनः विज्ञापन

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 8-2/2023/आ.प्र. / एक भोपाल दिनांक 05.01.2023 एवं दिनांक 15 दिसम्बर 2023 के प्रावधान अनुसार विशेष अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिये सहायक वर्ग-3 के पद की पूर्ति वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। आवेदन हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखते हुए नीचे दर्शाये गए विहित प्रारूप में विज्ञापन दिनांक से 15 शासकीय कार्य दिवस के अंदर आवेदन पत्र मुख्यालय, परिवहन आयुक्त कार्यालय, हुरावली हिल्स सिरोल, ग्वालियर के नाम से प्राप्त हो जाना चाहिए। डाक से हुए विलम्ब के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा, रिक्त पदों का वियरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता निम्नलिखित है।

| स. क्र. | पदनाम         | पद की श्रेणी | वेतनमान                                                                               | दिव्यांगजन के लिये आरक्षित शक्तियाँ                                                                | निर्धारित योग्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3            | 4                                                                                     | 5                                                                                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 01      | सहायक वर्ग-03 | तृतीय श्रेणी | 5200-20200+ग्रेड पे 1900 (सातवें वेतनमान के मैट्रिक लेवल-4) समय-समय पर देय अन्य भत्ते | MD<br>(ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहु विकलांगता) | 03<br>01 मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्था से हायर सेकेंडरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।<br>02 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से न्यूनतम एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा / सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।<br>03 म.प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागांतर्गत कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सीपीसीटी) हिन्दी टायपिंग के साथ उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। |

अन्य शर्तें:-

1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. समस्त प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा अथवा स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार 05 वर्ष की छूट का प्रावधान है।
4. आवेदक की आयु की गणना 01 जनवरी, 2025 से निर्धारित की जावेगी।
5. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक सी 3-8/2016/13 दिनांक 4 जुलाई, 2019 के अनुसार तृतीय श्रेणी के पद के लिए दिव्यांगजन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित है।
6. दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किए जाने से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
7. आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश मूल निवासी प्रमाण पत्र, जन्मतिथि, स्थाई जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/ईडब्ल्यू एस/दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र आदि से संबंधित प्रमाण-पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी अंकसूची/उपाधि अभिलेखों की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न की जावें।
8. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक सी 3-8/2016/1/3 दिनांक 4 जुलाई 2019 के अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
9. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण करता है।
10. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं/कार्यालयों में कार्यरत आवेदनकर्ता नियुक्तिकर्ता/सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्र के संलग्न प्रस्तुत करें। अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न न होने की स्थिति में आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
11. चयन के लिए किसी भी स्तर पर अथवा चयन के उपरांत भी आवेदक को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी एवं चयन निरस्त कर दिया जाएगा।

12. आवेदन-पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं पाए जाते हैं, तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्ण सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
13. अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हों जो रूपान्तरित किये गये हो वे आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे साथ ही ऐसे विवरण दिए गए हों, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिए आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
14. विभाग में कार्यरत आवेदक कर्मचारी नियोजक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
15. संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत निःशक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
16. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही किये वास्तव में दिव्यांग है यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
17. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले उम्मीदवारों के निःशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
18. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 17 जुलाई 2014 के अनुसार निःशक्तजनों की नियुक्ति के पश्चात् एवं उनके कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड से निःशक्तता प्रमाण पत्र का परीक्षण कराया जायेगा। मेडीकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के पश्चात् ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
19. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 13.10.2015 के अनुसार मूक बधिर श्रेणी के निःशक्तजनों की शासकीय भर्ती के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड में बैरा टेस्ट (Bera Test) कराना अनिवार्य है।
20. डिजिटल जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा।
21. जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो उसे उक्त पदों के लिए अयोग्य माना जावेगा।
22. किसी आवेदक की ओर से किसी भी साधन से अपनी अभ्यार्थिता के समर्थन अभिप्राप्त किया गया कोई भी प्रयास उसके नियुक्ति चयन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निरर्हता समझा जाएगा।
23. जिस आवेदक को 02 से अधिक संतान हैं, उनमें से एक का जन्म दिनांक 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो तब ऐसा आवेदक नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
24. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8 (1) के तहत सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः 03 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
25. परीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम की प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
26. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार परिवहन आयुक्त, ग्वालियर के पास सुरक्षित रहेंगे।

  
परिवहन आयुक्त  
मध्यप्रदेश